



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/2022/ 16881

दिनांक: 19-7-2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 16-3099/73/2022-3/184533/2022 दिनांक 29.06.2022(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र के साथ संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र संख्या-02/2022/539/90-सं०शि०प०का०/2022-02(सं०शि०)/2015, दिनांक 14.06.2022 संलग्न कर प्रेषित करते हुए संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करने एवं सभी मा० जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल उनका कॉल रिसीव करने तथा बैठक में होने/अनुपलब्ध होने पर कॉल की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल संबंधित जनप्रतिनिधियों को कॉल बैक करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि शासन के पत्र में निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।


संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-01 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र दिनांक 29.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

कृपा शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू, लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू, कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०टी०यू, गोरखपुर।
4. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
5. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/बिजनौर/अम्बेडकरनगर।
8. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज/मैनपुरी/सोनभद्र/आजमगढ़।
9. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
10. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
13. सचिव, फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 29/06/2022

विषय:- मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र संख्या-02/2022/539/90-सं० शि० प० का०/2022-02(सं० शि०)/2015, दिनांक 14.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करने एवं सभी मा० जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल उनका कॉल रिसीव (Receive) करने तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गई है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उक्त पत्र दिनांक 14.06.2022 में की गई अपेक्षानुसार संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा०

संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

Signed by कृपा शंकर सिंह

Date: 29-06-2022 17:18:03

Reason: Approved

(कृपा शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30 प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30 प्र० शासन (श्री सुनील कुमार चौधरी) को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30 प्र० शासन (श्री कृपा शंकर सिंह) को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. अनु सचिव/उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30 प्र० शासन।
5. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3 30 प्र० शासन।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक-14 जून, 2022

विषय: मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति
संख्या.....प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि.शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

VS(1K)



आप अवगत ही हैं कि मा0 संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में अंतिम बार शासनादेश संख्या- 16.6.22-06/2021/365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-11-11-2021 द्वारा

(सुभाष चन्द शर्मा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक
शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उल्लेखनीय है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों में मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने के साथ साथ यह भी निर्देश दिये गये हैं कि समस्त अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर उनका कॉल रिसीव (Receive) करेंगे तथा बैठक में

U.S.

होने/ अनुपलब्ध होने की दशा में कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। शासन द्वारा शासकीय कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु सी0यू0जी0 (CUG) फोन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कतिपय अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

50-3
17/6/2022
20/6/2022

4. अस्तु इस सम्बन्ध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया स्वयं तथा अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि वे संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आप स्वयं एवं सभी अधिकारीगण मा० जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल उनका कॉल रिसीव (Receive) करेंगे तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे।

5. कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-02/2022/539(1)/90-सं०शि०प०का०/2022-02(सं०शि०)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री, उ०प्र०।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे०पी०सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।